

फर्द अहकाम

~~सूचना~~ बनाम ~~पत्रावली~~

नाम न्यायालय ~~15em-11~~

केस संख्या ~~प्रावण 33/12~~

~~15em-11~~
~~15em-11~~


क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	4/6/19	<p>पत्रावली पेश हुई / वकूलावली परीक्षा उपर / पत्रावली वास्तु जवाब शर्पण पर / आजाभी पेशी दिनांक 12/7/19 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय</p>
	12/7/19	<p>पत्रावली पेश हुई / वकूलावली परीक्षा उपर / पत्रावली वास्तु जवाब शर्पण पर / आजाभी पेशी दिनांक 08/08/19 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय</p>
	8/8/19	<p>पत्रावली पेश हुई पोटासीन अधिकारी महोदय कानून व्यवस्था / अ.उ. 21 पर ड्यूटी पर पधारे हुए हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/9/19 को पेश हो</p>
	11/9/19	<p>पत्रावली पेश हुई / वकील प्रावण अनुपस्थित / पत्रावली वास्तु जवाब शर्पण पर / आजाभी पेशी दिनांक 18/9/19 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय</p>
	18/9/19	<p>पत्रावली पेश हुई / वकील प्रावण अनुपस्थित / वकील प्रावण उपस्थित / प्रावण / वादी का वाद अहम दावा</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय</p>

फर्द अहकाम

क्रय AC-3

सहायक बनाम जगदीश

जयपुर 29/12

देनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्रारंभिक अस्थायी निषेधाज्ञा अलपाद का ही भाग है। अतः अलपाद को अदम पैरवी में खारिज होने का कोई मौखिक नहीं है। अलपाद के अनुपलब्ध में प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अदम टाजटी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैलत शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज्ञा दिनांक 18/3/19 को लिखा जाकर जुरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक लक्टर जयपुर शहर द्वितीय </p>	

